

**हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना**

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

संख्या 107/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(i) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 21क और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21ख	शीर्ष 9965 या शीर्ष 9967	किसी ऐसे माल परिवहन एजेंसी द्वारा, - (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान ; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियां, जिन्होंने कर में कटौती किए जाने के प्रयोजन से हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 51 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाया है न कि माल या सेवाओं की कराधेय प्रदाय करने के लिए, को किसी माल वाहक में माल के परिवहन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ख) क्रम संख्या 27 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27 क	शीर्ष 9971	प्रधान मंत्री जन धन योजना (पी एम जे डी वाई) के अधीन खाता धारकों को मूल बचत बैंक जमा (बी एस बी डी) के लिए किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम संख्या 34क के सामने, खाना (3) में प्रविष्टि में, "पीएसयू द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "बैंकिंग कंपनियां और" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 66 के सामने, खाना (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"शीर्ष 9992 या शीर्ष 9963";

(ङ) क्रम संख्या 67 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 74 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74क	शीर्ष 9993	भारतीय पुर्नवास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम 34) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पुनर्वास व्यवसायियों के द्वारा चिकित्सा संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य निकायों, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 12कक के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हों, द्वारा स्थापित पुर्नवास केन्द्रों में पुर्नवास, थैरैपी या काउंसलिंग और ऐसी ही अन्य क्रियाओं, जो कि उक्त अधिनियम के अधीन आती हैं, के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ii) पैरा 2 में खण्ड (यक) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(यकक) "वित्तीय संस्थान" का वही अभिप्राय होगा जो इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 45झ के खण्ड (ग) में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification**

The 31st December, 2018

No. 107/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(i) In the Table, -

(a) after serial number 21A and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“21B	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage, to, - (a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies, which has taken registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) only for the purpose of deducting tax under Section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.	Nil	Nil”;

(b) after serial number 27 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“27A	Heading 9971	Services provided by a banking company to Basic Saving Bank Deposit (BSBD) account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).	Nil	Nil”;

(c) against serial number 34A, in the entry in column (3), after the letters and words “PSUs from the”, the words “banking companies and” shall be inserted;

(d) against serial number 66, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted namely: -

“Heading 9992 or Heading 9963”;

(e) serial number 67 and the entries thereagainst shall be omitted;

(f) after serial number 74 and the entries thereagainst, the following serial number and entries there against shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“74A	Heading 9993	Services provided by rehabilitation professionals recognised under the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) by way of rehabilitation, therapy or counselling and such other activity as covered by the said Act at medical establishments, educational institutions, rehabilitation centers established by Central Government, State Government or Union territory or an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).	Nil	Nil”;

(ii) in paragraph 2, after clause (za), the following clause shall be inserted, namely: -
“(zaa) “financial institution” has the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act,1934(2 of 1934).”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department